RNI No# MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार, 01 जनवरी से 07 जनवरी 2022, भोपाल, मध्य प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष : 9, अंक : 39, पृष्ठ : 8, मूल्य : 05 रुपया

जनवरी से जीएसटी व्यवस्था में होने जा रहे कुछ परिवर्तन

जीएसटी व्यवस्था में एक जनवरी से कई करों की दर और प्रक्रियात्मक परिवर्तन लागू होंगे, जिसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर यात्री परिवहन या रेस्तरां सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता सम्मिलित है।

आने वाल नए वर्ष के प्रथम दिन यानी कि, एक जनवरी से जीएसटी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं। जीएसटी व्यवस्था में एक जनवरी से कई करों की दर और प्रक्रियात्मक परिवर्तन लागू होंगे, जिसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर यात्री परिवहन या रेस्तरां सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता सम्मिलित है। साथ ही, फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जीएसटी करेक्शन शनिवार से लागू होगा, जिसमें सभी फुटवियर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स सहित कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल उत्पादों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफलाइन या मैनुअल मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी, जबकि, ऐसी सेवाएं जब किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, तो एक जनवरी, 2022 से 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो जाएंगी। प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो प्रभावी होंगे, उनमें स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर शामिल हैं,

जिन्हें एक जनवरी से उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर सरकार के साथ जीएसटी जमा करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है। उन्हें ऐसी सेवाओं के बदले में इनवॉइस जारी करने की भी आवश्यकता होगी।

अंतिम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में रेस्तरां जीएसटी जमा कर रहे हैं। केवल, जमा और चालान जुटाने के अनुपालन को अब खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। यह कदम सरकार के इस अनुमानों के बाद आया है कि पिछले दो वर्षों में खाद्य वितरण एग्रीगेटर्स द्वारा कथित रूप से कम रिपोर्टिंग के कारण सरकारी खजाने को कर नुकसान 2,000 रुपये है। इन प्लेटफार्मों को जीएसटी जमा के लिए उत्तरदायी बनाने से कर चोरी पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा जीएसटी कानून में एक और संशोधन किया गया है ताकि जीएसटी अधिकारियों को बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के कर बकाया की वसूली के लिए किसी भी परिसर का दौरा करने की अनुमति दी जा सके।

संक्षिप्त समाचार

औद्योगिक मजबूती के लिए हर माह साठ करोड़ की सहायता

शासन के उद्योग मित्र कार्यों और प्रगति के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2021 के दौरान मदद की तत्परतापूर्वक पहल की है। औसतन हर माह औद्योगिक इकाइयों के लिए साठ करोड़ रूपए से ज्यादा की मदद दी गई। वर्ष भर में लगभग 731 करोड़ रूपए की रिबेट दी गई है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निदेर्शानुसार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कंपनी हर संभव कार्य कर रही है। नई लाइनें, ग्रिड, ट्रांसफार्मर आदि के कार्य नियमित किए गए हैं। इस वर्ष उच्च दाब संबंधित उद्योगों को सामान्य छूट, शासन की सब्सिडी, पावर फेक्टर, प्राम्प्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट, ग्रीन फील्ड, नए कनेक्शनों पर रिबेट, केप्टिव रिबेट, रात्रिकालीन बिजली उपयोग पर स्पेशल रिबेट, ऑनलाइन भुगतान पर रिबेट आदि का लाभ दिया गया है। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि सभी प्रकार के रिबेट, प्रोत्साहन मद, सब्सिडी के रूप में कुल 731 करोड़ की मदद दी गई है। यह मदद राशि अब तक की सबसे अधिक है। औद्योगिकी इकाइयों को बिजली वितरण के लिए विशेष व्यवस्था है। यहाँ तकनीकी कठिनाई होने पर तेजी से सुधार कार्य कर स्थिति सामान्य की जाती है, ताकि औद्योगिक उत्पादन और विकास की निरंतरता बनी रहे।

570 करोड़ यूनिट खपत

उच्च दाब कनेक्शनों के माध्यम से ही वर्ष के दौरान लगभग 570 करोड़ यूनिट की खपत हुई है। यह गत वर्ष से करीब दस फीसदी ज्यादा है। वर्ष भर में लगभग 200 नए उच्च दाब कनेक्शन हुए हैं। कनेक्शनों की संख्या लगभग चार हजार पहुँच गई है।

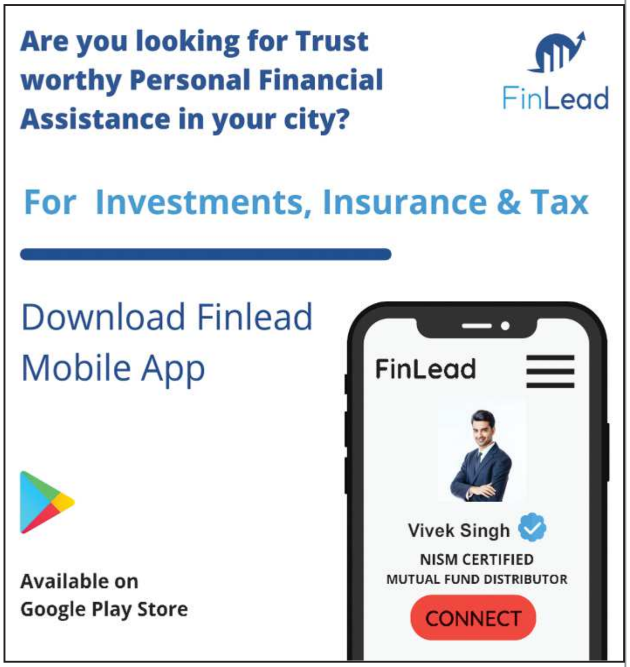

Top 10 investment options

Most investors want to make investments in such a way that they get sky-high returns as quickly as possible without the risk of losing principal money. This is the reason why many are always on the lookout for top investment plans where they can double their money in few months or years with little or no risk.

However, high-return, low-risk combination in a investment product, unfortunately, does not exist. In reality, risk and returns are directly related, they go hand-in-hand, i.e., the higher the returns, higher the risk and vice versa.

While selecting an investment avenue, you have to match your own risk profile with the associated risks of the product before investing. There are some investments that carry high risk but have the potential to generate higher inflation-adjusted returns than other asset class in the long term while some investments come with low-risk and therefore lower returns.

There are 2 buckets that investment products fall into and they are financial and non-financial assets. Financial assets can be divided into market-linked products and fixed income products. Non-financial assets - many Indians invest via this mode - are the likes of physical gold and real estate.

Here is a look at the 10 investment avenues Indians look at while saving for financial goals.

1. Direct equity

Investing in stocks might not be everyone's cup of tea as it's a volatile asset class and there is no guarantee of returns. Further, not only is it difficult to pick the right stock, timing your entry and exit is also not easy. The only silver lining is that over long periods, equity has been able to deliver higher than inflation-adjusted returns compared to all other asset classes.

At the same time, the risk of losing a considerable portion or even all of your capital is high unless one opts for stop-loss method to curtail losses. In stop-loss, one places an advance order to sell a stock at a specific price. To reduce the risk to certain extent, you could diversify across sectors and market capitalisations. To directly invest in equity, one needs to open a demat account.

2. Equity mutual funds

Equity mutual fund schemes predominantly invest in equity stocks. As per current the Securities and Exchange Board of India (Sebi) Mutual Fund Regulations, an equity mutual fund scheme must invest at least 65 percent of its assets in equity and equity-related instruments. An equity fund can be actively managed or passively managed.

In an actively traded fund, the returns are largely dependent on a fund manager's ability to generate returns. Index funds and exchange-traded fund (ETFs) are passively managed, and these track the underlying index.

Equity schemes are categorised according to market-capitalisation or the sectors in which they invest. They are also categorised by whether they are domestic (investing in stocks of only Indian companies) or international (investing in stocks of overseas companies).

3. Debt mutual funds

Debt mutual fund schemes are suitable for investors who want steady returns. They are less volatile and, hence, considered less risky compared to equity funds. Debt mutual funds primarily invest in fixed-interest generating securities like corporate bonds, government securities, treasury bills, commercial paper and other money market instruments.

4. National Pension System

The National Pension System (NPS) is a long term retirement - focused investment product managed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). The minimum annual (April-March) contribution for an NPS Tier-1 account to remain active has been reduced from Rs 6,000 to Rs 1,000. It is a mix of equity, fixed deposits, corporate bonds, liquid funds and government funds, among others. Based on your risk appetite, you can decide how much of your money can be invested in equities through NPS.

5. Public Provident Fund

Since PPF has a long tenure of 15 years, the impact of compounding of tax-free interest is huge, especially in the later years. Further, since the interest earned and the principal invested is backed by sovereign guarantee, it makes it a safe investment. Remember, interest rate on PPF is reviewed every quarter by the government.

6. Bank fixed deposit (FD)

A bank fixed deposit is considered a comparatively safer (than equity or mutual funds) choice for investing in India. Under the deposit insurance and credit

guarantee corporation (DICGC) rules, each depositor in a bank is insured up to a maximum of Rs 5 lakh with effect from February 4, 2020 for both principal and interest amount.

Why you need an emergency corpus and where to invest your money to create one

What is an emergency fund?

When it comes to our personal finances, many of us have changed the way we view our money matters. A recent survey done by Scripbox, a digital wealth manager, found that creating an emergency fund has emerged as the top financial goal in the current environment.

So what is an emergency fund? It is a contingency fund that not only helps financially during most difficult times but also prevents the derailment of your saving for long term goals.

Earlier, the coverage was maximum of Rs 1 lakh for both principal and interest amount. As per the need, one may opt for monthly, quarterly, half-yearly, yearly or cumulative interest option in them.

7. Senior Citizens' Saving Scheme (SCSS)

Probably the first choice of most retirees, the Senior Citizens' Saving Scheme is a must-have in their investment portfolios. As the name suggests, only senior citizens or early retirees can invest in this scheme. SCSS can be availed from a post office or a bank by anyone above 60.

SCSS has a five-year tenure, which can be further extended by three years once the scheme matures. The upper investment limit is Rs 15 lakh, and one may open more than one account. The interest rate on SCSS is payable quarterly and is fully taxable. Remember, the interest rate on the scheme is subject to review and revision every quarter. However, once the investment is made in the scheme, then the interest rate will remain the same till the maturity of the scheme. Senior citizen can claim deduction of up to Rs 50,000 in a financial year under section 80TTB on the interest earned from SCSS. Read more about Senior Citizens' Saving Scheme.

8. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

PMVVY is for senior citizens aged 60 years and above to provide them an assured return of 7.4 per cent per annum. The scheme offers pension income payable monthly, quarterly, half-yearly or yearly as opted. The minimum pension amount is Rs 1,000 per month and maximum Rs 9,250 per month. The maximum amount that can be invested in the scheme Rs 15 lakh. The tenure of the scheme is 10 years. The scheme is available till March 31, 2023. At maturity, the investment amount is repaid to the senior citizen. In the event of death of senior citizen, the money will be paid to the nominee.

9. Real Estate

The house that you live in is for self-consumption and should never be considered as an investment. If you do not intend to live in it, the second property you buy can be your investment.

The location of the property is the single most important factor that will determine the value of your property and also the rental that it can earn. Investments in real estate deliver returns in two ways - capital appreciation and rentals. However, unlike other asset classes, real estate is highly illiquid. The other big risk is with getting the necessary regulatory approvals, which has largely been addressed after coming of the real estate regulator.

10. Gold

Possessing gold in the form of jewellery has its own concerns such as safety and high cost. Then there's the 'making charges', which typically range between 6-14 per cent of the cost of gold (and may go as high as 25 percent in case of special designs). For those who would want to buy gold coins, there's still an option.

Many banks sell gold coins now-a-days. An alternate way of owning gold is via paper gold. Investment in paper gold is more cost-effective and can be done through gold ETFs. Such investment (buying and selling) happens on a stock exchange (NSE or BSE) with gold as the underlying asset. Investing in Sovereign Gold Bonds is another option to own paper-gold. An investor can also invest via gold mutual funds. Read more about sovereign gold bonds.

curtsey: https://economictimes.indiatimes.com/

IPO New Rule: सख्त हुआ सेबी, आईपीओ की एक-एक पाई का होगा हिसाब

ताबड़तोड़ आ रहे आईपीओ (IPO) के बीच बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने इससे जुड़े नियमों को नए साल से ठीक पहले सख्त किया है। सेबी का इस बात पर खास ध्यान है कि आईपीओ के जरिए पब्लिक से जुटाए जा रहे पैसों का कंपनियां कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकें। इसके अलावा आईपीओ के प्राइस बैंड (IPO Price Band) और एंकर इन्वेस्टर्स (Anchor Investors) के लिए लॉक-इन पीरियड (Lock-In Period) से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

सेबी को आईपीओ के नियमों में कुछ खामियां नजर आईं। खासकर नए जमाने की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर आधारित कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर नियमों में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई।

सख्त हो गए आईपीओ से जुड़े नियम अब आम लोगों को होगा कम नुकसान 01 अप्रैल 2022 से लागू होंगे नए नियम

ताबड़तोड़ आ रहे आईपीओ (IPO) के बीच बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने इससे जुड़े नियमों को नए साल से ठीक पहले सख्त किया है। सेबी का इस बात पर खास ध्यान है कि आईपीओ के जरिए पब्लिक से जुटाए जा रहे पैसों का कंपनियां कुछ भी

गलत इस्तेमाल नहीं कर सकें। इसके अलावा आईपीओ के प्राइस बैंड (IPO Price Band) और एंकर इन्वेस्टर्स (Anchor Investors) के लिए लॉक-इन पीरियड (Lock-In Period) से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। ये सारे बदलाव 01 अप्रैल 2022 से लागू होंगे।

इंटरनेट बेस्ड नई कंपनियों के चलते महसूस हुई जरूरत

आईपीओ बाजार (IPO Market) की खामियों को दूर करने के लिए सेबी ने 16 नवंबर को डिस्कशन पेपर (SEBI Discussion Paper) जारी किया था। ये सारे बदलाव उसी पेपर पर आधारित हैं। सेबी को आईपीओ के नियमों में कुछ खामियां नजर आईं। खासकर नए जमाने की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर आधारित कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर नियमों में कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई।

एक-एक पाई पर रहेगी सेबी की नजर

सेबी ने जो सबसे अहम बदलाव किया है, वह आईपीओ से जुटाए गए फंड की एक-एक पाई का हिसाब है। अब आईपीओ से जुटाई गई पूरी राशि के इस्तेमाल पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (Credit Rating Agency) की नजर रहेगी। ये एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि एक-एक पाई का खर्च उन्हीं काम पर हो, कंपनियों ने आईपीओ के दस्तावेज में जिनका हवाला दिया है। अभी तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 95 फीसदी फंड के इस्तेमाल पर ही नजर रखती थी।

आईपीओ के पैसे से अब नहीं होगी शॉपिंग

कंपनियां अब आईपीओ से जुटाए गए फंड के 25 फीसदी का इस्तेमाल ही इन-ऑर्गेनिक ग्रोथ (Inorganic Growth) पर कर पाएंगी। अभी कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जब कंपनियां आईपीओ से जुटाए गए पैसे से विलय और अधिग्रहण (M&A) करती थी। सेबी का मानना है कि यह पब्लिक के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। इसी कारण अब इस तरह के खर्च पर लिमिट लगाने का प्रावधान किया गया है।

अब तुरंत एक्जिट नहीं कर पाएंगे एंकर इन्वेस्टर

एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक-इन पीरियड को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब एंकर इन्वेस्टर के लिए यह अवधि 30 दिनों के बजाय 90 दिनों की होगी। इसके साथ ही जिन शेयरहोल्डर्स (Shareholder) के पास 20 फीसदी या इससे अधिक हिस्सेदारी है, वे लिस्टिंग (IPO Listing) के दिन ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी शेयर ही बेच पाएंगे।

इन आईपीओ में डूबे आम लोगों के पैसे

दरअसल हाल में आए कुछ नई कंपनियों के आईपीओ ने इन बदलावों को जरूरी बना दिया था। जोमैटो के आईपीओ (Zomato IPO) के मामले में एंकर इन्वेस्टर एक महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म होते ही एक्जिट (Exit) कर गए. इससे कंपनी का शेयर नौ फीसदी तक टूट गया, जिसका नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोगों को हुआ। पेटीएम के आईपीओ (Paytm IPO) में भी एंकर इन्वेस्टर के एक्जिट करते ही शेयरों में 13 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। यही वाकया नायका के आईपीओ (Nykaa IPO) में भी दोहराया गया। अब लॉक-इन पीरियड बढ़ाए जाने के बाद शेयरों की वोलेटलिटी पर लगाम लगने की उम्मीद है।

बैंक प्राइवेटाइजेशन पर क्या है सरकार की प्रतिक्रिया, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया संसद में अपडेट

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण में सरकार को आसानी होगी।

भोपाल। सरकार ने दो सार्वजनिक बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर सफाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर कोई फैसला नहीं लिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि कारोबारी वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की घोषणा की थी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण में सरकार को आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण की घोषणा की थी। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

51 से 26 प्रतिशत होगी भागीदारी

सूत्रों का कहना है कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के माध्यम से पीएसबी में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत किये जाने की संभावना है। हालांकि इस विधेयक को पेश करने के समय के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल ही करेगा।

कौन से बैंक शामिल

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ नाम हैं जिनके निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि निजीकरण से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) ला सकते हैं।

बैंकर कर रहे विरोध

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण योजना के खिलाफ शीतकालीन सत्र के दौरान 16-17 दिसंबर को पूरे देश में बंद रखा था। इससे बैंकिंग कामकाज में बड़ी दिक्ककत हुई थी। लगभग 9 लाख बैंकर इस हड़ताल में सम्मिलित हुए थे।

31 दिसंबर तक नहीं भर पाए FY-21 का आईटीआर तो अब क्या करें

किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा खत्मे होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का अवसर रहता है लेकिन साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ती है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 थी, जो अब निकल चुकी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं बचा। जो लोग 31 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए हैं, वे अभी भी 'बिलेटेड आईटीआर' दाखिल कर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा खत्मे होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का अवसर रहता है लेकिन साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च 2022 है।

पेनल्टी कितनी लगेगी

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है। प्रावधान के तहत बिलेटेड आईटीआर को 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है। पहले यह जुमार्ना राशि 10,000 रुपये हुआ करती थी, जिसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। यद्दिप, यदि टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उसे 1000 रुपये की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि इनकम, एग्जम्प्शन लिमिट (2.50 लाख रुपये) से नीचे है तो बिना लेट फीस के 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

रिटर्न भरने में गलती

यदि ओरिजनल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है तो करदाता के पास संशोधित या रिवाइज्डट आईटीआर फाइल करने का अवसर रहता है। आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए संशोधित या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2022 है। बिलेटेड आईटीआर रिटर्न में हुई चूक के लिए भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड दोनों तरह के टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है, इसलिए आखिरी समय पर फाइल किए गए बिलेटेड रिटर्न के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

नए वर्ष में अवश्य ले हेल्थ इंश्योरेंस जाने इसके लाभ के बारे में

हस सभी बहुत रुपये इधर-उधर में खर्च कर देते हैं, जिन्हें एक जगह निवेश कर अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी में हम सभी ने देखा और सुना कि लोगों को किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा। ऐसे में हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए, जिससे मुश्किल घड़ी में आर्थिक मदद मिल सके। तो आइए जानते हैं कि हम नए साल 2022 में अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? किस तरह के इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस प्लान लेते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए?

भोपाल। वर्तामिन की भागदौड़ वाले जीवन में हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हमें अचानक अपने हेल्थ की चिंता होने लगती है। इसके बाद हम बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से अपना उपचार कराते हैं, जो लाखों का बिल बनाते हैं और हमारी वर्षों की सेविंग्स एक ही बार में उड़ हो जाती है। अगर आप इस सबसे बचना चाहते हैं तो आज से ही अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाइए। योगा या एक्सरसाइज प्रारंभ करिए, अच्छा खाइए, परिवार के साथ समय बिताइए और हो सके तो एक हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य करा कर रखें। हस सभी बहुत रुपये इधर-उधर में खर्च कर देते हैं, जिन्हें एक जगह निवेश कर अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी में हम सभी ने देखा और सुना कि लोगों को किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा। ऐसे में हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए, जिससे मुश्किल घड़ी में आर्थिक मदद मिल सके। तो आइए जानते हैं कि हम नए साल 2022 में अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? किस तरह के इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस प्लान लेते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए?

एक्सपर्ट का क्या कहना

सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टनमेंट एडवाइर जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि वर्तमान समय में हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। यह अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आपके मेडिकल खर्चे पूरे करने में आपकी मदद करता है। एक व्यापक हेल्थे इंश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती रहने से जुड़े प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा भी कुछ फायदे देता है, जैसे अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के शुल्क, एम्बुलेंस का शुल्क और साथ ही यह बेनेफिट कवर के माध्यम से गंभीर बीमारियों के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है। मानसिक शांति पाने से ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है, क्योंकि एक अच्छा प्लान जीवनभर के व्यापक मेडिकल कवर के साथ आपके परिवार की सुरक्षा कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है।

कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है

बाजार में अलग-अलग प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जो अलग-अलग ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

वर्तमान रोग का कवर

ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा लेने से पहले यह जान लेना चाहिए कि पॉलिसी में मौजूदा बीमारी कवर हो रही है या नहीं। कुछ कंपनियां तो अपनी पॉलिसीज में बीमाधारक की मौजूदा बीमारी को कवर करती है और कुछ नहीं करती। हमेशा उस बीमा योजना का चुनाव करना अच्छा होता है, जो ग्राहक की मौजूदा बीमारी को कवर करती हो और जिसमें कम वेटिंग पीरियड हो। कोविड के खतरों को देखते हुए आपको इससे संबंधित कवर को देखना भी जरूरी है।

क्लेम की रकम

इंश्योरेंस पॉलिसी में गंभीर बीमारी के लिए क्लेम की राशि ज्यादा होनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध कई बीमा कंपनियों की पॉलिसीज में कुछ गंभीर बीमारियों पर क्लेम की राशि अपेक्षाकृत कम होती है। ग्राहक को बीमा पॉलिसी लेने से पहले इस बारे में पता कर लेना चाहिए। इसके लिए ग्राहक को गंभीर बीमारी की कवर लिस्ट सहित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

पॉलिसी नेटवर्क

हेल्थ पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अस्पतालों के पास उनके कोऑडिनेटर्स की एक सूची होती है। पॉलिसीधारक को इस सूची को बेहद गौर से पढ़ना चाहिए। साथ ही यह देखना चाहिए कि आपके घर के आस-पास कौन-कौन से हॉस्पिटल हैं। अगर आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हों जो कि लिस्ट में नहीं है तो मरीज को कैशलैस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल का कुल बिल मरीज को खुद भरना होगा। उसके बाद उसे यह रकम रींबर्स की जाएगी।

को-पेमेंट

को-पेमेंट वह रकम होती है, जिसका पेमेंट स्वयं पॉलिसीधारक को बीमित सेवाओं के लिए करना होता है। यह रकम पहले से तय होती है। सीनियर सिटीजंस के लिए बाजार में उपबल्ध ज्यदातर इंश्योरंस पॉलिसीज को-पेमेंट की शर्त के साथ ही आती हैं। ऐसे में ग्राहक को वह इंश्योरेंस पॉलिसी चुननी चाहिए, जिसमें उसे कम से कम को-पमेंट देना पड़े। इसके अलावा ग्राहक को-पमेंट की शर्त को हटाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है।

आयकर विभाग ने फेसलेस अपील स्कीम में किया बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को अधिसूचित किया। बोर्ड का कहना है कि आयुक्त (अपील) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध की अनुमति देगा और सुनवाई की तारीख और समय को सूचित करेगा।

भोपाल। आयकर विभाग ने वर्तमान फेसलेस अपील स्कीम में बदलाव किया है, जिससे यह प्रक्रिया विभाग द्वारा कर की मांग के खिलाफ अपील करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक करदाताओं के लिए आसान हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को अधिसूचित किया। बोर्ड का कहना है कि आयुक्त (अपील) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध की अनुमति देगा और सुनवाई की तारीख और समय को सूचित करेगा।

ऑनलाइन व्यवस्था की समस्या

फेसलेस अपील स्कीम ऑनलाइन व्यवस्था ने व्यापारियों की कठिनाई बढ़ा रखी थीं। सबसे अधिक दिक्कत ऑनलाइन अपील में आ रही थीं। इसमें करदाताओं को अपना जवाब ऑनलाइन देना होता है। जवाब की फाइल पांच एमबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था में व्यापारी अपना पूरा पक्ष नहीं रख पा रहे थे। इससे कर निर्धारण उनके खिलाफ हो जा रहा था। सीए और कर अधिवक्ता भी इस समस्या से व्यापारियों को निजात नहीं दिला पा रहे थे। पक्ष रखने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा तो उपलब्ध थी, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण इसका लाभ व्यापारियों को नहीं मिल रहा था।

इस तरह की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए वह सभी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करते हैं।

हालांकि, इस योजना के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयकर प्राधिकरण के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं होगी। पिछली 'फेसलेस अपील स्कीम 2020 के तहत मौखिक प्रस्तुतियां करने के लिए एक व्यक्तिगत सुनवाई के लिए करदाता के अनुरोध के लिए क्षेत्रीय फेसलेस अपील केंद्र के प्रभारी मुख्य आयुक्त या आई-टी के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस तरह की मंजूरी केवल तभी दी गई थी, जब मुख्य आयुक्त या आई-टी के महानिदेशक की राय थी कि निर्दिष्ट परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता है।

फेसलेस अपील योजना, जिसका उद्देश्य करदाता और राजस्व विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को हटाना था, 25 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी और आयुक्त (अपील) को अपील के लिए पूरी तरह से फेसलेस प्रक्रिया प्रदान की गई थी। इसने करदाताओं को अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल करने की अनुमति दी और इस तरह उन्हें आयकर कार्यालय में फिजिकली प्रजेंट होने से बचाया। इस योजना के तहत किसी भी अधिकारी को अपील बेतरतीब ढंग से आवंटित की गई थी, जिसकी पहचान अपीलकर्ता के लिए अज्ञात रहेगी। अपीलीय निर्णय भी टीम आधारित था।

हालांकि, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, संवेदनशील और तलाशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर, काला धन अधिनियम और बेनामी संपत्ति से संबंधित मामले इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे। योजना कानूनी उलझनों में चली गई, क्योंकि कई करदाताओं ने व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा से इनकार करने को चुनौती देते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 28 दिसंबर को फेसलेस अपील योजना 2021 को अधिसूचित किया गया।

संपादकीय

मित्रों,

टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति से अन्य क्षेत्रों की तरह ही इंश्योरेंस में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है और ये धीरे-धीरे आ रहे बदलाव आने वाले वर्षों में भी निरंतर रहने की आशा है। आज के ग्राहक बीमा के बारे में पहले की अपेक्षा अधिक अवगत हैं और अपनी आवश्यकताओं को लेकर परिपक्व भी हैं। आईसीआरए के अनुसार, सामान्य बीमा उद्योग से वित्तत वर्ष 22 के दौरान ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम आय में 7% से 9% का विकास अपेक्षित है। वित्त वर्ष 21 में उद्योग ने 4% का वार्षिक विकास किया था और यह 1.85 लाख करोड़ रुपए था। आज इंश्योरेंस ग्राहक अधिक व्यैक्तिक सेवाओं की तलाश में रहते हैं, जो बीमाकताओं को अधिक अनुकूल प्लान पेश करने के लिए प्रेरित करता है। ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और व्यवहार से संचालित उद्योग का माहौल और टेक्नोलॉजी में प्रगति को लेकर बीमाकर्ता इस प्रयास में रहते हैं कि सबसे आसान संभव तरीके से अनुकूल उत्पाद मुहैया कराए जाएं। अग्रिम तकनीकों ने सूचना प्रणाली के क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, जिससे बीमा उपभोक्ताओं के लिए इसका उपयोग करना और भी सरल हो गया है। क्लेम को पहले ही परख लेने के लिए एआई / एमएल संचालित समाधानों से, समृद्ध डाटा विश्लेषण से क्लेम फ्रॉड का पता लगाना ऑटोमेट किए जाने, क्लेम के परिमाण की शैली का अनुमान लगने और हानि का विश्लेषण ऑटोमेट होने से बीमाकर्ता क्लेम मैनेजमेंट को बेहतर करने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा, विशाल आबादी और डिजिडटल डाटा की उपलब्धता के कारण बीमाकर्ता मानव की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने लगें हैं। मशीन लर्निंग से क्लेम प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करने में सहायता मिल सकती है। डिजिटल और क्लाउड के माध्यम एक्सेस करने योग्य फाइलों का विश्लेषण पहले से प्रोग्राम किए गए एल्गोरिद्म की आवश्यकता से और भी सटीकता से किया जा सकता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी ने इंश्योयरेंस उद्योग में और बढ़ौतरी की है। जो भविष्य में भी जारी रहने की आशा है।

धन्यवाद

सहायक संपादक
अवनीश तिवारी
avnishtiwarijr@gmail.com

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anilstockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is Trigger Point for buy/sell Based on the price range of the previous Month R1: Resistance one: 1st Resistance over PP. R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1.S1: Support one: 1st support after PP. S2: Support Two: 2nd support after S1. 1)

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and teh first target would be R1.2)
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1. 3)
- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly if price goes below PP the trader should SELL and keep the PP as stop loss and the first target would be S1.
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1.
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	18127	17764	17559	17196	16991	16628	16423
BANKNIFTY	38100	37000	36241	35237	34478	33474	32715
ABB	2396	2340	2287	2231	2178	2122	2069
ACC	2405	2321	2268	2185	2131	2048	1994
AXISBANK	720	703	690	673	661	643	631
BHARTIARTL	720	707	695	682	670	657	645
CIPLA	1008	983	963	938	918	892	873
DLF	421	407	398	384	375	360	352
ESCORTS	1960	1913	1886	1838	1812	1765	1738
GSPL	309	303	299	293	289	283	279
HDFC	2729	2669	2628	2568	2527	2467	2425
HDFCBANK	1563	1524	1501	1461	1439	1399	1377
HCLTECH	1422	1375	1347	1300	1272	1225	1197
HINDALCO	514	496	485	466	456	437	427
HINDUNILVR	2484	2427	2393	2336	2302	2245	2211
ICICIBANK	782	764	752	734	722	704	692
ICICISECURITIES	858	828	810	781	762	732	714
INFY	1980	1944	916	1880	1852	1816	1788
ITC	227	224	221	218	215	212	209
KOTAKBNK	1903	1852	1824	1773	1745	1694	1666
LT	1982	1945	1922	1883	1858	1821	1796
LUPIN	1029	993	972	936	915	879	858
MAHINDRA	890	868	852	830	814	791	776
MARUTI	7765	7607	7517	7359	7269	7111	7020
RELIANCE	2481	2449	2408	2377	2336	2305	2265
SBIN	481	472	466	457	451	442	436
SBICARD	979	955	941	917	903	878	865
SUNPHARMA	940	895	870	825	800	755	730
TITAN	2858	2697	2609	2447	2360	2198	2111
TCS	3866	3813	3760	3707	3654	3601	3548
TATASTEEL	1160	1145	1128	1113	1096	1081	1064
WIPRO	755	738	726	708	697	679	668

कुछ अच्छा रिटर्न पाने के लिए इन कंपनियों पर लगाएं दांव, एक्सपर्ट निलेश शाह की क्या है राय?

अगर आप भी साल 2022 में शेयरों में निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो निलेश शाह की सलाह यह है कि आपको शेयर चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय शेयर बाजार के कई पॉकेट ऐसे हैं जहां कंपनियों का वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है।

यदि भारत में नए वायरस ओमीक्रोन के कारण लॉकडाउन या आर्थिक गतिविधियों में बड़ी बाधा नहीं आती तो वर्ष 2022 में शेयर बाजार में और तेजी दर्ज की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार में निवेश कर पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। यदि आप भी शेयरों में निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो कोटक एएमसी के जॉइंट प्रेसिडेंट एवं एमडी निलेश शाह की सलाह पर एक बार विचार कर सकते हैं। पिछले वर्ष भारत के शेयर बाजार ने बढ़िया रिटर्न दिया है। इस समय अमीक्रोन के कारण से शेयर बाजार उतार-चढ़ाव झेल रहा है।

महंगाई पर दृष्टि

इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से लेकर घरेलू निवेशक महंगाई और कंपनियों के परिणाम के अनुमान और उनकी वास्विकता आदि के स्तर पर शेयर बाजार चिंतित है। आशंका जताई जा रही है कि ओमीक्रोन साउथ अफ्रीका में चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके कारण से अस्पताल में प्रवेश होने वाले लोगों की संख्या और मृत्यु की दर बहुत कम है। अमेरिका, यूरोप और कोरिया जैसे देशों में भी ओमीक्रोन के कारण से संकट बढ़ा है।

भारत में अभी गंभीर नहीं स्थिति

अब तक भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट के बहुत गंभीर मामले देखने में सामने नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। अगर भारत में लॉकडाउन या आर्थिक गतिविधियों में बड़ी बाधा नहीं आती तो साल 2022 में शेयर बाजार में और तेजी दर्ज की जा सकती है। अगर भारत में लॉकडाउन या आर्थिक गतिविधियों में बाधा आती है तो शेयर बाजार में कमजोरी दर्ज की जा सकती है।

FPI की वसूली जारी

मार्च 2020 के निचले स्तर के बाद शेयर बाजार में काफी तेजी देखी है, इस वजह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं। कई विदेशी ब्रोकरेज हाउस में भारत के शेयर बाजार में कमजोरी की आशंका जताते हुए निवेशकों को मुनाफावसूली करने की सलाह दी है।

शेयर चुनने में सावधानी

अगर आप भी साल 2022 में शेयरों में निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो निलेश शाह की सलाह यह है कि आपको शेयर चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय शेयर बाजार के कई पॉकेट ऐसे हैं जहां कंपनियों का वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है।

बड़ी कंपनियों पर दांव

आपको उन शेयरों से दूर रहना चाहिए, अगर वर्ष 2022 की बात करें तो निलेश शाह के अनुसार अपनी इंडस्ट्री के लीडर कंपनियां छोटे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में वढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। निलेश शाह की राय यह है कि वर्ष 2022 में सुदृढ़ कंपनियां और अधिक सुदृढ़ बनकर उभरेंगी और उनका कारोबार और बढ़ेगा।

अधिक रिटर्न की आशा नहीं

निलेश शाह की राय यह है कि वर्ष 2022 में आपको शेयरों से बहुत अधिक रिटर्न पाने की आशा करने की आवश्याकता नहीं है। निलेश शाह का कहना है कि होम इंप्रूवमेंट, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और फार्मा कंपनियों के शेयर बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वर्ष शेयरों से अच्छीं कमाई करने के लिए आपको उन कंपनियों पर भी दांव खेलने की आवश्यकता है, जो डिजिटल इकोसिस्टम को तेजी से अपना रही हैं।

मिड कैप/स्मॉल कैप से बचें

निलेश शाह का कहना है कि यह कंपनियां अपने प्रतिनिधियों की तुलना में बढ़िया प्रदर्शन कर सकती हैं। कोटक एएमसी के एमडी का कहना है कि निवेशकों को इस बार लार्जकैप पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष उन्हें स्मॉलकैप और मिडकैप सेगमेंट की कंपनियों में निवेश कम करना चाहिए। इसके साथ ही निलेश शाह की राय यह है कि शेयर बाजार में मंदी आने पर निवेशकों को अधिक शेयर क्रय करनी चाहिए। ताकि जब मार्केट में तेजी का दौर आये तो अधिक रिटर्न मिल सके।

VentureCatalysts
India's 1st Integrated Incubator
VASPL
Cultivating Excellence

Open Deals in Start-up Investment

Startup Name	CynLr Robotics	Koovers	Expertia	Legal Pay	DegPeg	ImaginXP
Snapshot	Deep-tech	Automobile B2B Spares Platform	DL, NLP based Skill Intelligence Platform	Data-driven, tech-focused litigation funder and interim financier	Cloud based Live commerce platform	Higher education platform for future skill degrees delivered offline
Pre Money Valuation	TBA	INR 54 Cr	INR 24.5	Min INR 36 Cr Max INR 50 Cr	INR 20 Cr	INR 225 Cr
Minimum Ticket	5L One Tranche	5L One Tranche/ 25L Direct	5L One Tranche	5L One Tranche	5L One Tranche	5L One Tranche

Private & Confidential | Disclaimer : This is not a general communication. It is restricted only to the few specifically selected individuals to promote young startups and put them on the growth trajectory. The message should not be deemed or construed as invitation/ advertisement for investment or subscription of any security

Contact Amruta @ +91 7410098465 ; mail: vcatsbhopal@venturecatalysts.in

बीमा पॉलिसी
कितने में आती है?

एक
कप चाय

रू10/दिन

एक टर्म
बीमा पॉलिसी

रू13/दिन

अधिक जानकारी के लिए मुझे फोन करें।
अस्वीकरण: गणना एलआईसी के अमुल्य जीवन योजना पर आधारित हैं। आयु - 25 साल, अवधि - 35 साल, सुनिश्चित राशि - 25 लाख।

+91 73899 12003

Vision
Invest Tech Pvt. ltd.
(Formerly Vision Advisory Services Pvt. Ltd.)
"Your Concern is Our Concern"

पैसा बचाएं नहीं बल्कि उससे और धन भी कमाएं, ऐसे करें निवेश

पर्सनल फाइनेंस के बुनियादी सिद्धांतों में से एक होता है बचत करने की आदत डालना। यह किसी भी व्यक्ति के कठिन समय के लिए आवश्यक होता है। कठिन समय में और विशेषकर कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में कई लोगों के लिए सेविंग करना सबसे खास हो जाता है। वर्तमान समय में यह सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पैसे का एक और समान रूप से अहम पहलू है जो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बन जाता है वह है निवेश।

व्याक्तिगत वित्त के मूल सिद्धांतों में से एक होता है बचत करने की प्रवृत्ति या आदत डालना। यह किसी भी व्यक्ति के मुश्किल समय के लिए जरूरी होता है। मुश्किल समय में और खासकर कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में कई लोगों के लिए सेविंग करना सबसे अहम हो जाता है।

पर्सनल फाइनेंस के बुनियादी सिद्धांतों में से एक होता है बचत करने की आदत डालना। यह किसी भी व्यक्ति के कठिन समय के लिए आवश्यक होता है। कठिन समय में और विशेषकर कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में कई लोगों के लिए सेविंग करना सबसे खास हो जाता है। वर्तमान समय में यह सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पैसे का एक और समान रूप से अहम पहलू है जो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बन जाता है वह है निवेश। जिस प्रकार आपके लिए सेविंग आवश्यक है, उसी प्रकार सुद्रण वित्तीय स्थिति के लिए निवेश भी आवश्यक होता है।

निवेश महंगाई दर को मात देने अति आवश्यक

जब आपको संकट की किसी परिस्थिति से निकलने के लिए अचानक वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उस वक्त आपकी बचत आपके काम आती है। वहीं, एक और चीज है जो लगातार लोगों की चिंता बढ़ाती रहती है और वह है- महंगाई। महंगाई रुपये की क्रय शक्ति को कम कर देती है और इसका पैसे की बढ़ोत्तरी पर विपरीत असर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आज आपके हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है तो 5% की महंगाई दर के साथ 20 वर्ष बाद वह 80,000 रुपये हो जाएगा।

ऐसे में केवल सेविंग करने और निवेश नहीं करने से आपको लंबी अवधि में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, निवेश करने से आपकी धनराशि महंगाई दर के अनुपात में बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आपके पास खर्चे को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि हो। निवेश करते समय भी आपको इस बात पर ध्यान देकर महंगाई दर को मात देने वाले इंस्टुमेंट्स में निवेश करना होगा। ऐसे समय में इक्विटी लंबी अवधि में महंगाई दर को मात देने वाला निवेश का माध्यम बनकर उभरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इक्विटी में निवेश आपको महंगाई दर से निपटने और उससे अधिक रिटर्न पाने में सहायता करता है।

आप स्टॉक या म्युचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यदि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आप शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव को ट्रैक कर सकते हैं और आप महज संख्या से इतर की चीजों को भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद आप सीधे शेयरों में निवेश कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो म्युचुअल फंड बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के अनुभव से आपके निवेश का अच्छे से विविधीकरण हो पाता है और आपकी राशि बढ़ती है।

अपनी राशि को बढ़ने दीजिए

यदि आप पैसे को अपनी अलमारी या बचत खाते में रखकर छोड़ देते हैं तो उससे वह नहीं बढ़ेगा। यद्पि, बचत खाते पर आपको ब्याज मिलता है लेकिन उसकी दर बहुत कम होती है। दूसरी ओर, अलमारी में ऐसे ही पड़ा हुआ पैसा तो किसी भी तरह नहीं बढ़ता है। लेकिन यदि आप पैसों को निवेश करते हो तो चीजें अलग हो जाती हैं। यदि आप बैंक एफडी करते हैं या बाजार से जुड़े म्युचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो समय के साथ आपके पास एक अच्छी राशि एकत्रित हो जाती है। ऐसे में आपको समय के साथ अपनी राशि में वृद्धि के लिए और धनराशि का निवेश करना होगा।

निवेश से लक्ष्यक सुनिश्चित होता है

इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार खरीदने, छुट्टी पर जाने, बच्चों की उच्च शिक्षा और रिटायरमेंट जैसे जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हों। निवेश करने से यह भी सुनिश्चित होता है कि फंड्स की कमी के कारण आपके लक्ष्य प्रभावित ना हों। यह आपके सपने को साकार करने के लिए लोन और अन्य वित्तीय माध्यमों पर आपकी निर्भरता कम कर देता है।

भारतीय वित्तीय बाजारों में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के बहुत अवसर उपस्थित हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपने लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार से निवेश कीजिए।

प्रकाशक एवं मुद्रकः प्रदीप करम्बेलकर, सी-101, नेहरु नगर, द्वारा स्वत्वाधिकार विजन एडव्हायजरी सर्विसेस प्रा.लि. प्लॉट नं.-36, ई-सेकण्ड फ्लोर, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित एवं महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट, प्लॉट नं. 4 वैभव काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुदित। **संपादकः** प्रदीप करम्बेलकर, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा।) **फोनः** +91 0755-4277186 - 2555217, **वेबसाईटः** www.investmentavenues.in, **ईमेलः** contactinvestmentavenues@gmail.com